ई-आफिस सं0- 1583249/2021
संख्या-10/2023/471-57-2023-3-10-2015

प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश, वाराणसी/
आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य विभाग लखनऊ : दिनांक 21 मार्च 2023

विषय:- सिन्धू दर्शन की यात्रा करने वाले उ0प्र0 के मूल निवासी तीर्थयात्रियों को राज्य सरकार की ओर से अनुदान दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अगवत कराना है कि शासनादेश संख्या-307/527-2019-3(10)/2015 दिनांक 06 जून, 2019 द्वारा सिन्धू दर्शन की तीर्थ यात्रा से वापस आने वाले उ0प्र0 के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से रू0 20000 का अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। शासनादेश सं0- 1104/57-2022-3(10)2015 दिनांक 13 अक्टूबर, 2022 की व्यवस्था के क्रम में कुल 229 तीर्थ यात्रियों/श्रद्धालुओं द्वारा अनुदान स्वीकृत किये जाने का आवेदन पत्र धर्मार्थ कार्य विभाग की निर्धारित वेबसाइट पर प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 179 तीर्थ यात्रियों के आवेदन निर्धारित धनराशि के अनुदान की स्वीकृति हेतु वैध पाये गये है।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान सं0-084 के लेखाशीर्षक-2250-अन्य समाजिक सेवाएँ, 101-धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान-06-प्रदेश के सिन्धी समाज के तीर्थ यात्रियों के लिए अनुदान-42-अन्य व्यय के मद में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख का उपयोग करते हुए कुल 50 तीर्थ यात्रियों को ही अनुदान दिया जा सकता है। अत: आय-व्ययक में धनराशि की उपलब्धता के अभाव में लगभग 129 तीर्थ यात्री अनुदान से वंचित रह जायेंगे। अनुदान से वंचित यात्रियों को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर आय-व्ययक के उक्त मानक मद में रू0 35.80 लाख की व्यवस्था कर ली गयी है।

3- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सिन्धु दर्शन यात्रा सम्पन्न करने वाले 179 तीर्थ यात्रियों **(सूची संलग्न)** को अनुदान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 लाख तथा पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 35.80 लाख में से 25.80 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 35.80 लाख **(रूपये पैतीस लाख अस्सी हजार मात्र) की** वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

(1) जिस मद सें पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया जा रहा है उसी मद में पुनः अतिरिक्त धनराशि की माग नहीं की जायेगी।

(2) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु आप उत्तरदायी होंगे।

(3) पुनर्विनियोग मात्र बजट की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रश्नगत कार्य एवं इस हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने हेतु समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त सुसंगत नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

(4) आप द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर- 147, 148 ,150 एवं 151 में निर्दिष्टि प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(5) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व आपका होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य विभाग, उ0प्र0 वाराणसी/आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार, वाराणसी से किया जायेगा।

4- उक्त मानक मद में पुनर्विनियोंग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। पुनर्विनियोग आदेश सं0- RE-budget-1-491-E-5-235-X-2022-23-दिनांक:16-03-2023 के माध्मय से स्वीकृत किया गया है। पुनर्विनियोग प्रपत्र-बी0एम0-9 संलग्न है।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 35,80,000 (रुपये पैंतीस लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 084 **लेखा शीर्षक** 2250001010600 प्रदेश के सिन्धी समाज के तीर्थ यात्रियों के लिये अनुदान **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-471-57-2023-3-10-2015, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4- जिलाधिकारी, अयोध्या।
5- नगर आयुक्त, नगर निगम, अयोध्या।
6- उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
7- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/अयोध्या।
8- प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, अयोध्या परिक्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
10-अधिषाशी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-4, लोक निर्माण विभाग, अयोध्या।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in